



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125883

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील संख्या - 1596/2026

रहीश उर्फ धर्मेन्द्र उर्फ धर्मेश विश्वकर्मा

.....अपीलार्थीगण

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश एवं अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता : आशुतोष चौबे, प्रमोद कुमार गुप्ता, शैलेन्द्र कुमार

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. प्रतिशपथ पत्र आज प्रस्तुत किया गया है, अभिलेख पर लिया गया।
2. सूची पुनरीक्षित। नोटिस तामील होने के बावजूद विपक्षी पक्षकार संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. यह आपराधिक अपील अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(2) के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट), ललितपुर के न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 23/2026, मुकादम अपराध सांख्य 1202/2025, धारा 376, 328, 452, 504, 506 भा.द.सं. एवं धारा 3(1)(आर), 3(1)(एस), 3(2)(बी), 3(2)(वीए) एस.सी./एस.टी. एक्ट तथा धारा 67 आई.टी. एक्ट, थाना कोतवाली ललितपुर, जनपद ललितपुर में पारित दिनांक 21.01.2026 के आक्षेपित जमानत अस्वीकृति आदेश को अपास्त किया जाए, जिसके द्वारा अपीलार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया था।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी निर्दोष है तथा उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी के विरुद्ध न तो कोई प्रत्यक्ष और न ही कोई अप्रत्यक्ष साक्ष्य है। आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 156(3) दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रार्थना पत्र के आधार पर लगभग 22 माह के अत्यधिक विलंब के पश्चात दर्ज कराई गई थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कथन किया कि पीड़िता एक तलाकशुदा महिला है तथा उसके दो बच्चे हैं। यह तर्क दिया गया कि अपीलार्थी की गिरफ्तारी से पूर्व, पीड़िता अपीलार्थी के साथ रह रही थी तथा उसके साथ सहमति से संबंध में थी। इस तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान पेपर बुक के पृष्ठ 60 की ओर आकृष्ट किया, जिसमें एक पारस्परिक तलाक करार है। उक्त करार में यह अंकित है कि विवाह-विच्छेद पारस्परिक सहमति से होने से पूर्व, पीड़िता वर्तमान अपीलार्थी के साथ उसकी पत्नी के रूप में निवास कर रही थी। विद्वान अधिवक्ता ने पेपर बुक के पृष्ठ 72, जो आरोप पत्र का अंतिम पृष्ठ है, की ओर भी संदर्भित किया, जिसमें यह अंकित है कि विवेचना के दौरान पुलिस को यह ज्ञात हुआ कि पीड़िता प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराए जाने से लगभग चार वर्ष पूर्व वर्तमान अपीलार्थी के साथ गई थी। अंत में, यह कथन किया गया कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपीलार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 04.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

6. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना का प्रबल विरोध किया, किन्तु अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क का खण्डन नहीं कर सके।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने तथा अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात, यह प्रतीत होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं परिवादिनी द्वारा धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रार्थना पत्र के माध्यम से दर्ज कराई गई थी। परिवादिनी ने स्वीकार किया कि वह पिछले दो वर्षों से अपीलार्थी के निरंतर संपर्क में थी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) की धारा 183 के अंतर्गत अंकित अपने कथन में, उसने बताया कि वह एक तलाकशुदा महिला है तथा पिछले दो वर्षों से अपीलार्थी को भली-भांति जानती है। न्यायालय ने यह भी अवलोकित किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग 22 माह के पर्याप्त विलंब के पश्चात दर्ज कराई गई थी। इसके अतिरिक्त, परिवादिनी तथा उसके पूर्व पति के मध्य हुए पारस्परिक तलाक करार से यह इंगित होता है कि तलाक अंतिम रूप से होने से पूर्व ही, वह अपीलार्थी के साथ उसकी पत्नी के रूप में निवास कर रही थी। विवेचना के दौरान, पुलिस को यह ज्ञात हुआ कि परिवादिनी लगभग चार वर्ष पूर्व अपीलार्थी के साथ चली गई थी तथा तब से उसने अपने पति के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं रखा।

8. इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, साक्ष्य की प्रकृति तथा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना को इंगित करने वाली किसी विश्वसनीय सामग्री के अभाव को देखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि अपीलार्थी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है तथा मंजूर की जाती है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट), ललितपुर के न्यायालय द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 23/2026 में पारित दिनांक 21.01.2026 का आक्षेपित आदेश एतद्वारा अपास्त किया जाता है।

10. अपीलार्थी-रहीश उर्फ धर्मन्द्र उर्फ धर्मेश विश्वकर्मा को उक्त मुकदमा अपराध संख्या में रु.50,000/- (पचास हजार) के व्यक्तिगत मुचलके तथा समान राशि के दो प्रतिभुओं पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) अपीलार्थी अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा पीड़िता/परिवादिनी को किसी भी प्रकार से क्षति या प्रताड़ित नहीं करेगा।

(ii) अपीलार्थी न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, प्रत्येक तारीख पर न्यायालय में उपस्थित होगा तथा विचारण के निस्तारण में किसी भी प्रकार से विलंब नहीं करेगा।

(iii) अपीलार्थी यह वचन पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह साक्ष्य हेतु नियत तारीख पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन प्रार्थना नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन की दशा में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(iv) अपीलार्थी जमानत की स्वतंत्रता का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं करेगा। यदि अपीलार्थी विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 84 बी.एन.एस.एस./धारा 82 दं.प्र.सं. के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा अपीलार्थी ऐसी उद्घोषणा में नियत तारीख पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता



है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार धारा 209 बी.एन.एस./धारा 174-ए भा.दं.सं. के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(v) अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष (1) विचारण के प्रारंभ, (2) आरोप विरचित किए जाने तथा (3) धारा 251 बी.एन.एस.एस./धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कथन अंकित किए जाने हेतु नियत तारीखों पर स्वयं उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में अपीलार्थी की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में मानते हुए विधि के अनुसार कार्यवाही करे तथा विचारण न्यायालय धारा 269 बी.एन.एस./धारा 229-ए भा.दं.सं. के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

(vi) विचारण न्यायालय अपीलार्थी की रिहाई के पश्चात विचारण को शीघ्रता से निष्कर्षित करने का हर संभव प्रयास करेगा।

11. प्रतिभुओं की पहचान, स्थिति तथा निवास संबंधी प्रमाण की जांच संबंधित न्यायालय द्वारा की जाएगी तथा उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त कर अपीलार्थी को कारागार भेजने हेतु स्वतंत्र होगा।

5 जून, 2026

अजीत

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)